



द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0

(किसान पाठ्याला)

07/2018 & 19



योगी आदित्यनाथ
मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश



सुर्ज प्रताप शाही
कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश



राकेश प्रताप सिंह
(डॉ० धून्हो सिंह)
कृषि प्रश्नमंत्री, उत्तर प्रदेश

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश

फसल बीमा करायें,
जोखिम से निजात पायें।

ऋणी और गैर ऋणी किसान,
सबके लिए है यह वरदान।

विषय सन्दर्भ

क्रसं.	दिवस	कार्यक्रम	पृष्ठ सं.
		मा. कृषि मंत्री जी का सन्देश मा. राज्य मंत्री, कृषि का सन्देश	
1.	पहला दिन	(क) कृषकों की आय दो गुना करने की रणनीति, समेकित कृषि प्रणाली, (ख) कृषि—वानिकी, पारदर्शी किसान सेवा योजना, मोबाइल एप एवं डी.बी.टी.	00 00
2.	दूसरा दिन	(क) रबी की मुख्य फसलें, प्रजातियाँ एवं प्रभावी बिन्दु (ख) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन, कृषि निवेश प्रबन्धन	00 00
3.	तीसरा दिन	(क) कृषि विभाग की योजनायें एवं देय सुविधायें, रबी बीजों पर अनुदान, रबी फसलों के समर्थन मूल्य (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मुख्य मंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, रूपे कार्ड	00 00
4.	चौथा दिन	(क) उद्यान एवं पशुपालन, मत्स्य उत्पादन विभाग की योजनाएँ (ख) गन्ना उत्पादन तकनीकि, रेशम एवं प्रबंधन	00



कार्यालय, दूरभाष / फैक्स : 2239247

सी.एच. : 2213256

कार्यालय कक्ष संख्या 69-70

मुख्य भवन

दिनांक : 12/11/2018

सूर्य प्रताप शाही

मंत्री,

कृषि, कृषि शिक्षा एवं
कृषि अनुसंधान विभाग,
उत्तर प्रदेश

संदेश


कृषि कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने एवं कृषि की उन्नति तकनीकी के किसानों तक व्यवहारिक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा "द मिलियन फार्मर्स स्कूल" (किसान पाठशाला) का आयोजन वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है तथा विगत वर्ष रबी एवं इस वर्ष खरीफ में इन पाठशालाओं के माध्यम से प्रदेश के 10-10 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें केन्द्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ ही क्षेत्रीय जन प्रतिधियों द्वारा भी भागीदारी की गई और इस योजना की उपादेयता को सराहा गया। कृषि, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है। प्रदेश में कुल 265.00 लाख हेक्टेएक्टफल में विभिन्न फसलें बोयी जाती हैं। प्रदेश में लगभग 2.33 करोड़ कृषक परिवार हैं जिनमें से 92.5 प्रतिशत किसान लघु और सीमान्त श्रेणी के हैं। वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की आय वर्ष 2017 से 2022 तक की अवधि में दो गुना करने का संकल्प लिया गया है,

कृषि एक गतिशील विज्ञान है जिसमें निरन्तर विकसित हो रही तकनीकी विधाओं की जानकारी किसानों तक पहुँचाना अनिवार्य है जिससे वे भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षित प्रयोग करते हुए कृषि को एक लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित कर सकें। किसान अपने आप में प्रयोगाधीर्मी हैं। कृषि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों की दो-दो ग्राम सभाओं में किसानों को "किसान पाठशाला" के माध्यम से प्रशिक्षित करने हेतु तैयार किये गये समन्वित माड्यूल में समेकित कृषि प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण, फसलोत्पादन, खाद्यान्न फसलों की उन्नत कृषि के साथ ही साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, गन्ना की खेती, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, स्टोरेज और मूल्य संवर्धन की विभिन्न विधाओं को भी शामिल किया गया है।

निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की न्याय पंचायतों के दो-दो ग्राम पंचायतों में 04 दिवसीय इन किसान पाठशालाओं से कृषकों को अपनी कृषि को संरक्षित एवं लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित करने में एक नयी दृष्टि मिलेगी जिससे वे खेती की लागत को कम करते हुए अपनी आय की वृद्धि को एक नया आयाम दे सकेंगे। निःसंदेह यह कार्यक्रम प्रदेश के किसानों के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा।

उक्त कार्यक्रम के सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,
मंत्री
(सूर्य प्रताप शाही)



उत्तर प्रदेश सचिवालय
F3/4, बापू भवन, चतुर्थ तल,
लखनऊ
दूरभाष : 0522-2235730(का10)

दिनांक : 12 / 11 / 2018

रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धृष्णी सिंह)

राज्य मंत्री

कृषि, कृषि शिक्षा एवं
अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश

संदेश

कृषक के लिए खेत ही उसकी पाठशाला होती है। खेत ही उसके जीवन की प्रयोगशाला और कर्मक्षेत्र है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश की क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर कई योजनायें प्रारम्भ की हैं। ‘किसान पाठशाला’ इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा एक अभिनव कार्यक्रम है। जिसमें प्रदेश की सभी न्याय-पंचायतों की दो-दो ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्राथमिक/ जूनियर बेसिक विद्यालय के परिसरों में दिसम्बर माह में 4 दिनों की पाठशालाओं के दो सत्र आयोजित किये जा रहे हैं। इन पाठशालाओं का उद्देश्य है कि किसान उद्यमशीलता, कृषि विविधीकरण, जैविक खेती, बीज, उर्वरकों पेस्टीसाइड आदि के प्रयोग के लिए जागरूक हो तथा वह कृषि की उस विशेष पद्धति को अपनायें और क्रियान्वित करें जिससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लागत में कमी हो तथा किसान अपने व्यवसायिक उत्पादों को लेकर अन्य उद्यमियों की तरह बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम हो सकें।

मुझे विश्वास है कि कृषि विभाग द्वारा रबी 2018-19 आयोजित होने वाली किसान पाठशालाओं से कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकी की और अधिक जानकारी हो सकेगी।

इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

भवदीय,
रणवेन्द्र प्रताप सिंह
(रणवेन्द्र प्रताप सिंह)

(क) किसानों की आय दो गुना करने की रणनीति :

- एकीकृत फसल प्रणाली : दो या दो से अधिक फसलों के साथ बागवानी पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि करना।
- अन्तः फसली खेती : अरहर/उर्द/मूँग के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवां, कोदो, तिलहनी फसलों की इण्टरक्रापिंग करना।
- कृषि वानिकी : खेत के मेड़ पर पापुलर युकेलिप्टस, कीकर, सुबबूल, करौंदां आदि का रोपण करना।
- दुग्ध उत्पादन एवं गोबर तथा गोमूत्र से कम्पोस्ट/जैविक खाद बनाना।
- समूह बनाकर कृषि यंत्रीकरण का प्रयोग करना।
- कृषक उत्पादन समूह/सामूहिक खेती को बढ़ावा देकर अधिकाधिक उत्पादन अतिरेक पैदा करना तथा विपणन की तार्किक पद्धति अपनाकर लाभ प्राप्त करना।
- फूड प्रोसेसिंग को अपनाकर कृषि उत्पादों का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना।
- खेतीबाड़ी में निवेशों के प्रकार :
 1. बिना पैसा लगाये— समय पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग, रोग एवं कीट नियंत्रण, कटाई एवं सुखा कर भण्डारण।
 2. पैसा व्यय होने वाले निवेश— उन्नत बीज का प्रयोग, उर्वरक, पेस्टीसाइड्स, सिंचाई आदि का क्रमशः सीडिल, मृदा परीक्षण, रोग/कीट के प्रकोप की स्थिति, स्प्रिंकलर/ड्रिप द्वारा सिंचाई करना।

किसानों की आय दो गुना

करने के सूत्र -

- उत्पादन लागत कम करना।
- उत्पादन बढ़ाना।
- मूल्य संवर्धन एवं लाभकारी विपणन करना।



समेकित कृषि प्रणाली

समेकित कृषि प्रणाली (IFS) आज के किसानों की आवश्यकता है। IFS से आशय है कि बहुफसल पद्धति, फसल चक्र, अन्तर्फसल, मिश्रित फसल के साथ अन्य उद्यम यथा बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बकरी पालन, सुकर पालन आदि को भी अपनाया जाये। इससे न सिर्फ किसानों को सतत आजीविका के लिए आय बढ़ाने में वृद्धि होगी, बल्कि बाढ़ सूखा अथवा अन्य किसी प्रकार की आपदा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक है। IFS का मूल सिद्धान्त संरक्षित खेती है, जो न्यूनतम जुताई फसल अवशेष के समुचित उपयोग के साथ स्थानीय आवश्यकता के आधार पर कृषि एवं सम्बद्ध कार्य करने पर बल देता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जलवायुविक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार IFS माडल दिए गए हैं। जो कि निम्नवत् हैं:-

क्रम सं	कृषि जलवायुविक क्षेत्र	संस्तुत समन्वित कृषि प्रणाली
1	मध्य मैदानी क्षेत्र	<p>फसल प्रणाली + डेयरी + बागवानी + वर्मी कम्पोस्ट + मेड पर पेड (करौंदा)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● फसल प्रणाली- <ol style="list-style-type: none"> 1. धान—गेहू—हरी खाद 2. मक्का—सरसों—ज्वार (चारा) ● पशुपालन – 1 गाय + 1 भैंस ● बागवानी— अमरुद, पपीता, नींबू, केला के साथ सहफसली मौसमी सब्जियाँ ● वर्मी कम्पोस्ट— जैविक कचरा प्रबन्धन एवं वर्मी कम्पोस्ट विक्रय ● मेड पर पेड—करौंदा
2	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	<p>फसल प्रणाली + डेयरी + बागवानी (फल+सब्जी) मत्स्य + कुट्टकुट पालन + मधुमक्खी पालन + वर्मी कम्पोस्टिंग</p> <ul style="list-style-type: none"> ● फसल प्रणाली <ol style="list-style-type: none"> 1. धान—गेहू—मूँग 2. धान—जाई—मूँग 3. धान—गेहू—सरसों 4. लौकी—बन्दगोभी / फूलगोभी—नेनुआ 5. सुडान घास—बरसीम—सरसों—सुडान घास + लोबिया 6. अरहर + बाजरा—सुडान घास ● डेयरी—जर्सी एवं अन्य गाय ● बागवानी—ऑवला एवं अमरुद की बैंगन, टमाटर, फूल गोभी के साथ सहफसली खेती, केला, अमरुद एवं पपीता + सब्जियाँ ● कुकुट पालन—200 मुर्झियों के 6 चक्र ● मत्स्य— कतला, रोहू, मृगल, नैन ● मशरूम की खेती— ओएस्टर मसरूम

		<ul style="list-style-type: none"> वर्मी कम्पोस्ट की एक इकाई मेड पर पेड़—करौदा एवं नीबू
3	पश्चिम मैदानी क्षेत्र	<p>फसल प्रणाली + डेयरी + कृषि—बागवानी प्रणाली + मत्स्य + मसरूम + मधुमक्खी पालन + वर्मी कम्पोस्ट, मेड पर वृक्षारोपण</p> <ul style="list-style-type: none"> फसल प्रणाली <ol style="list-style-type: none"> ज्वार — जई / चना—हरी खाद ज्वार—चना—हरी खाद धान—सरसों—मूँग

समन्वित पादप प्रबन्धन (IPM)-को अपनाकर के देशी खाद जैसे केंचुए की खाद, हरी खाद का प्रयोग कर किसान बन्धु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इससे उत्पादन लागत में भी कमी आयेगी।

जैविक एजेण्ट एवं जैविक कीटनाशकों का प्रयोग- जैविक एजेण्ट एवं जैविक कीटनाशकों का प्रयोग यथा फफूँदी जीवाणुओं एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद है। जो फसलों, सब्जियों एवं फलों की कीटव्याधियों से असुरक्षा प्रदान करता है।

- नीम-** नीम एक प्राकृतिक कीट नाशक है। इसमें मौजूद तत्व फसलों को कीड़ों से बचाता है इसका तेल, खली एवं पत्तियों को कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है।
- ट्राईकोग्रामा-** छोटी तर्तीया जाति के परजीवी हैं। इसका प्रयोग ट्राईकोकार्ड के द्वारा किया जाता है। एक कार्ड में लगभग 2000 अण्डे होते हैं। जो गन्ना, दलहनी फसलों, सब्जियों के नुकसान दायक, फल भेदक, पत्ती लपेटक आदि कीड़ों का नाश करता है। ट्राईकोकार्ड को विभिन्न फसलों में 10 से 15 दिन के अन्तराल पर 3-4 बार लगायें। सामान्य फसलों में 05 कार्ड प्रति हैक्टेयर में प्रयोग करें।
- ट्राईकोडर्मा-** यह एक जैविक फफूँदी नाशक है। इसके प्रयोग से फसलों में जड़ तथा तना गलन / सड़न, उकठा जैसे अपूर्ति जनक रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता सकता है। इसके प्रयोग के विधि निम्नवत् है।
 - बीज शोधन-** बीज शोधन हेतु ट्राईकोडर्मा को 4 ग्राम प्रति कि0ग्रा10 की दर से प्रयोग करें।

2. कन्द / कार्म / नर्सरी पौध के उपचार के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर के घोल से उपचारित कर बुवाई / रोपाई करें।
3. भूमि शोधन 1 किंग्रा० ट्राईकोडर्मा प्रति 25 किंग्रा० गोबर की खाद के साथ प्रयोग करें।
4. खड़ी फसल में फफूद जनित रोगों के नियंत्रण हेतु 2.5 किंग्रा० प्रति हैक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल कर सांयकाल छिड़काव करें।

फसल सुरक्षा हेतु अन्य उपाय -

- गर्मी की जुताई कर के उसमें मौजूद कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को नष्ट करना।
- स्वस्थ एवं रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना।
- समय से बुवाई करना तथा फसल चक अपनाना।
- बीज शोधन कर के बुवाई करना।
- नर्सरी समय से ऊंचाई पर लगाना।
- पौध से पौध और लाइन से लाइन की वांछित दूरी रखना।
- पौध की जड़ों को शोधित कर के लगाना।
- संतुलित खाद का प्रयोग करना।
- सिंचाई का समुचित प्रबन्ध करना।
- कटाई जमीन स्तर से करना।

बीज शोधन :- बीज शोधन द्वारा अत्यन्त कम व्यय में बीज जनित एवं भूमि जनित रोगों को बहुत ही आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रभावी बीज शोधन हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- बीज शोधन हेतु विभिन्न बीज उपचारकों के उपयोग की दशा में इनके उपयोग का क्रम फफूंदनाशक, कीटनाशक, जैव रसायन तथा राइजोबियम होना चाहिए।
- बीज शोधन के उपरान्त बीज को छांव में सुखाना चाहिए ताकि बीज के ऊपर एक परत बन जाए।

क्र०सं०	फसल	रोग	बीज शोधन द्वारा रोकथाम
1	गेहूँ	अनावृत कण्डुवा, करनाल बन्ट	थीरम @ 2.5 gm/Kg कार्बैण्डाजिम @ 2.5 gm/Kg
2	राई / सरसों	अल्टरनेरिया धब्बा	थीरम @ 2.5 gm/Kg
3	राई / सरसों	सफेद बोर्लई, तुलासिता	मेटालेक्जिल @ 2.0 gm/Kg

4	मसूर	उकठा, तुलासिता	थीरम @ 2.0 gm/Kg + कार्बेण्डजाजिम / ट्राईकोर्डर्मा @ 4 gm/Kg
5	अलसी	उकठा, झुलसा	थीरम @ 2.5 gm/Kg
6	चना / मटर	उकठा	थीरम @ 2.0 gm/Kg

4. जैविक खेतीं में वेस्ट डिकंपोजर का प्रयोग :- राष्ट्रीय जैविक केन्द्र द्वारा जैविक कचरे से तत्काल खाद बनाने के लिए वर्ष 2015 में वेस्ट डिकंपोजर का निर्माण किया गया। इसकी लागत 20 रु० प्रति बोतल आती है। इसका प्रयोग कर किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं।

वेस्ट डीकंपोजर बनाने का तरीका :-

- 2 किंवद्ध 10 गुड को 200 लीटर पानी को प्लास्टिक के ड्रम में मिलायें। अब एक बोतल वेस्ट डिकंपोजर की लें और उसे गुड के घोल वाले प्लास्टिक ड्रम में मिला दें।
- ड्रम में सही ढंग से वेस्ट डिकंपोजर के वितरण के लिए लकड़ी के उण्डे से इसे हिलायें और इस ड्रम को कार्ड बोर्ड से ढक दें।
- प्रत्येक दिन एक या दो बार इसे पुनः उण्डे से हिला कर मिला दें।
- पाँच दिनों के बाद ड्रम का घोल क्रीमी हो जायेगा यानि एक बोतल से 200 लीटर वेस्ट डिकंपोजर तैयार हो जाता है।
- इस वेस्ट डिकंपोजर घोल से किसान बड़े पैमाने पर बार-बार आवश्यकतानुसार घोल बना कर प्रयोग कर सकते हैं।
- वेस्ट डिकंपोजर का प्रयोग 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई प्रयोग करें।
- वेस्ट डिकंपोजर से बीजों का उपचार करने पर 98 प्रतिशत मामलों में शीघ्र अंकुरण होता है साथ ही इससे अंकुरण के पहले बीजों को संरक्षण भी प्राप्त होता है।

विभिन्न आई.एफ.एस. मॉडल का आर्थिक विश्लेषण

1. भव्य मैदानी जोन -

(अ) वर्तमान कृषि प्रणाली	फसलें+पशुपालन (गाय/भैंस)
(ब) शुद्ध आय	रु. 88900/ हे.
(स) समन्वित कृषि प्रणाली	फसल प्रणाली+दुध उत्पादन+वायवानी+वर्मी कम्पोस्ट+ बांकन्डी पर पौधारोपण
(द) समन्वित कृषि प्रणाली से आय	रु. 186000/ हे.
(य) आय वृद्धि	109 प्रतिशत

2. पूर्वी मैदानी जोन -

(अ) वर्तमान कृषि प्रणाली	फसलें+पशुपालन (गाय/भैंस)
(ब) शुद्ध आय	रु. 108400/ हे.
(स) समन्वित कृषि प्रणाली	फसल प्रणाली+दुध उत्पादन+फसलोत्पादन+चम्पो उत्पादन+मत्स्य पालन+मधुमक्खी पालन+वर्मी कम्पोस्ट+पालन+वर्मी कम्पोस्ट
(द) समन्वित कृषि प्रणाली से आय	रु. 262000/ हे.
(य) आय वृद्धि	143 प्रतिशत

3. पश्चिमी मैदानी जोन -

(अ) वर्तमान कृषि प्रणाली	फसलें+पशुपालन (गाय/भैंस)
(ब) शुद्ध आय	रु. 140000/ हे.
(स) समन्वित कृषि प्रणाली	फसल प्रणाली+दुध उत्पादन+फसलोत्पादन+पश्ची-हार्ट+मत्स्य पालन+मधुमक्खी पालन+वर्मी कम्पोस्ट + बांकन्डी सान्टशन
(द) समन्वित कृषि प्रणाली से आय	रु. 367000/ हे.
(य) आय वृद्धि	162 प्रतिशत

- वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर किसान बिना रसायन, उर्वरक व कीटनाशक के फसल उत्पादन कर सकते हैं।
- इसके प्रयोग करने से सभी प्रकार की कीटनाशी/फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग 90 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(ख) कृषि-वानिकी, पारदर्शी किसान सेवा मोबाइल एप एवं डी.बी.टी.

कृषि वानिकी :-

ग्राम सभा की भूमि, खेत की मेड़ों, सड़कों के किनारे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को लगाकर ईधन, इमारती लकड़ी तथा प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सकता है साथ ही इन्हें बैंचकर आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 62 जिलों में 5 प्रजातियों और 13 जिलों में 6 प्रजातियों को छोड़कर पेड़ काटने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। काटे जाने वाले एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाने होंगे। 63 जिलों में वन क्षेत्र के बाहर नीम, महुआ, आम, खैर और साल को छोड़कर किसी भी पेड़ को काटने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल एप :-

किसानों को पारदर्शी किसान योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करायें और कृषि निवेशों आदि की घर बैठे प्रगति सुलभ कराने के उद्देश्य से एप लॉन्च किया जा रहा है। इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत अनुमन्य सुविधायें :-

- लघु सीमान्त कृषकों जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं को बायोपेर्सीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स के मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 500 एवं समस्त कृषकों को बीज शोधन हेतु बीज शोधक रसायनों के मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 150 प्रति है0 जो भी कम हो अनुदान देय।
- लघु सीमान्त कृषकों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं को कृषि रक्षा रसायनों के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 500 प्रति है0 जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- लघु सीमान्त कृषकों, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला को कृषि रक्षा यंत्र के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसमें मानव चालित यंत्र पर अधिकतम रु0 1500 एवं शक्ति चालित यंत्र पर अधिकतम रु0 3000 प्रति यंत्र जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- लघु सीमान्त कृषकों, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलायें सम्मिलित हों


को 5,3 एवं 2 कुन्तल क्षमता के बखारी के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 1500 प्रति बखारी जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य ।

सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली :-

कृषि निवेशालय (कृषि रक्षा अनुभाग) सर्विलेन्स सेल में दो मोबाईल नम्बर 9452247111 एवं 9452257111 पर कृषकों द्वारा एसएमएस / व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कीट / रोग से सम्बन्धित समस्याओं को डाउन लोड कर, सम्बन्धित जनपदों के जिला कृषि रक्षा अधिकारी अपने लागिन से प्राप्त करते हुए 48 घण्टे में उसका निराकरण सम्बन्धित कृषक को एसएमएस के माध्यम से प्रेषित करेंगे ।

(छ) पारदर्शी किसान सेवा योजना एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी०बी०टी०):-

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का अनुदान सीधे किसानों के खातों में दिया जा रहा है किसान भाई स्वतः अथवा विकास खण्डों के राजकीय कृषि बीज भण्डारों या तहसील / जनपदीय कार्यालयों में जाकर अपना निःशुल्क पंजीकरण कृषि विभाग की बेबसाईट नचंहतपबनसजनतमण्बवउ पर करा सकते हैं । पंजीकरण हेतु कृषक के खेत की खतौनी, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति जिसमें उसका खाता संख्या तथा आईएफसी कोड उल्लिखित हो की आवश्यकता पड़ती है ।

 <p>प्रौद्योगिकी विकास मंत्री प्रधानमंत्री, भारत</p>  <p>प्रौद्योगिकी विकास मंत्री प्रधानमंत्री, भारत</p>  <p>प्रौद्योगिकी विकास मंत्री प्रधानमंत्री, भारत</p>	<p>भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सन् 2022 तक किसानों की आय दो गुना करने के क्रम में पहली बार प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 26–28 अक्टूबर 2018 को NPK d K* का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश से सभी 75 जिलों के किसानों, अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय, कृषि संरथानों के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, केन्द्र एवं प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसद, विधायकों ने सक्रिय सहभागिता की इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, प्रदर्शनी, सजीव प्रदर्शन एवं किसान मेला आयोजित किया गया जिसकी काफी सराहना हुई । इसमें झजराइल तथा जापान सहयोगी देश के रूप में शामिल हुए तथा इनसे प्रदेश में कृषि विकास के सम्बन्ध में समझौते भी हुए । कृषि कुम्भ का शुभारम्भ मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मादी द्वारा वीडियो कान्फ्रॉन्टिंग से किया गया तथा इसका समापन प्रदेश के राज्यपाल मा. रामनाराईक जी द्वारा किया गया । प्रदेश के मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन सत्र में उद्बोधन किया गया तथा प्रदर्शनी एवं मेले में लगे स्टालों एवं प्रदर्शनों का अवलोकन भी किया गया ।</p>
 <p>अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 एवं प्रदर्शनी</p> <p>26–28 अक्टूबर, 2018</p> <p>स्थान: आईआरआर-भारतीय गण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई.आर.एस.आर.), तेलीवारा, रायबरेली रोड, लखनऊ</p>	 <p>किसानों की आय दो गुनी करना सम्पूर्ण कृषि व्यवसाय-सुअवसरों का सुनन</p> <p>26–28 अक्टूबर, 2018</p> <p>स्थान: आईआरआर-भारतीय गण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई.आर.एस.आर.), तेलीवारा, रायबरेली रोड, लखनऊ</p>
 <p>प्रौद्योगिकी विकास मंत्री</p> <p>प्रधानमंत्री</p> <p>www.krishikumbh2018.org</p>	 <p>प्रौद्योगिकी विकास मंत्री</p> <p>भारत राष्ट्रीय समाज सेवा विभाग</p> <p>प्रधानमंत्री</p> <p>प्रदेश अधिकारी</p> <p>न. अवलोकन</p>

(ख) प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलों की मुख्य प्रजातियाँ एवं अधिक उत्पादन हेतु प्रभावी बिन्दु :

1. गेंहू-बुवाई- नवम्बर के दूसरे सप्ताह से दिसम्बर के तीसरे सप्ताह (अधिकतम 25 दिसम्बर) तक
 - (अ) प्रजातियों-समय से बुवाई हेतु- डी0बी0डब्ल्यू0-88, एच0डी0-3086, एच0डी0-2967, डी0बी0डब्ल्यू-17, -एच0आई 8737 (पूसा अनमोल), एन 2015 एच0डी0-3086, पी0बी0डब्ल्यू-550, पी0बी0डब्ल्यू-725, उन्नत पी0बी0 डब्ल्यू-303, राज-4120
 - (ब) डी0बी0डब्ल्यू0-16, डी0बी0डब्ल्यू-107, डी0बी0डब्ल्यू-90, एच0डी0-3059, एच0डी0-2985, राज-4238, एच0आई-1563, डब्ल्यू0एच0-1124

गेंहू के प्रभावी बिन्दु :-

- (i) समय से बुवाई करें, नवम्बर के प्रथम पखवाडे से बुवाई आरम्भ कर अन्तिम पखवाडे तक बुवाई अवश्य हो जाय। विलम्ब से बुवाई दिसम्बर के तीसरे सप्ताह (अधिकतम 25 दिसम्बर तक) पूर्ण कर लिया जाय। देर से बोये जाने की दशा में बीज की मात्रा 25 प्रतिशत तक बढ़ा ली जाय।
- (ii) (क) मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर खाद/उर्वरकों का प्रयोग किया जाय। बुवाई फर्टी सीड ड्रिल से किया जाय। सामान्य दशा में 120-60-40 (एन0पी0के0) के अनुसार उर्वरक का प्रयोग किया जाय। घर का बीज प्रयोग करने की दशा में बीज शोधन 2.5 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम कॉर्बन्डाजिम से प्रति कि0ग्रा0 बीज का शोधन करें।
- (ख) सूक्ष्म तत्वों (जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, बोरान) के मिश्रण का प्रयोग किया जाय।
- (iii) बुवाई के 20-25 दिन पर ताजमूल अवस्था में (काउन जड़) में सिंचाई अवश्य करें।
- (iv) खरपतवार- गेंहू का मामा (फैलरिस माइनर) के लिए सल्फो सल्फयूरॉन (1 यूनिट 13.50 ग्राम) 120 लीटर पानी के साथ तथा चौड़ी एवं संकरी पत्ती दोनों के लिए मेट सल्फो सल्फयूरॉन (1 यूनिट 16 ग्राम) का प्रयोग एक एकड़ के लिए 200 लीटर पानी के साथ सिंचाई के बाद बुवाई के 25-30 दिनों के भीतर किया जाय।
- (v) गेंहू में यलोरस्ट के नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 ई0सी0 500 मिली0

मात्रा को 750 ली0 पानी में घोलकर प्रयोग करें।

- (vi) दीमक का गेंहूं एवं अन्य फसलों में नियंत्रण हेतु 10 कुं0 नीम की खली प्रति है0 या व्यूवेरिया बैसियाना 1.15 प्रतिशत की 2.5 किग्रा0 मात्रा को प्रति है0 60-70 किग्रा0, गोबर की खाद में मिलाकर एक सप्ताह नम एवं छायादार स्थान पर रखकर खेत में मिला दें। आवश्यकता पड़ने पर क्लोरपाइरीफास 20 ई0सी0 की 2.5 ली0 500-600 ली0 पानी में मिलाकर प्रयोग करें।
- (vii) जिंक फसल का प्रयोग खड़ी फसल में 05 किग्रा0 जिंक सल्फेट, 20 किग्रा0 यूरिया 01 है0 में किया जाय (पानी की मात्रा 800 से 1000 ली0)
- (viii) सिंचाई प्रबन्धन - पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर 22 से 25 दिन के अंतरनाल पर 26 सिंचाई की जाय, 2 सिंचाई उपलब्ध हो, तो ताजमूल एवं पुष्पावस्था पर करें। यदि तीन सिंचाई उपलब्ध हो तो ताजमूल अवस्था, बाली निकलने के पूर्व तथा दुग्धावस्था पर करें।

2. जौ की खेती- कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में गेंहूं के स्थान पर जौ की खेती की जानी चाहिए।

प्रजातियां- डी.डब्ल्यू.आर.बी.-64, डी.डब्ल्यू.आर.बी.-71, डी.डब्ल्यू.आर.बी.-91, एन.डी.बी.-1173, एन.डी.बी.-943, महामना-113

प्रभावी मुख्य बिन्दु :-

- (I) (क) मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर खाद/उर्वरकों का प्रयोग किया जाय। बुवाई के समय डी0ए0पी0 तथा पोटाश का प्रयोग फर्टी सीड ड्रिल से किया जाय, सामान्य रूप से (एन0पी0के0) को 60:30:20 के अनुसार प्रयोग किया जाय।
 - (ख) आवश्यकता के अनुसार जिंक, लोहा, मैग्नीज, एवं बोरान मिश्रण का प्रयोग किया जाय।
 - (ii) उपलब्धता के अनुसार सिंचाई कल्ले फूटते समय (30-35 दिन बाद) एवं दुग्धावस्था में करें यदि एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो कल्ले फूटते समय करें।
- 3. चना-प्रजातियां :-** जे0जी-11, जे0जी-14, जे0जी-130, जाकी-9218, आर0एस0जी0-972, जी0एन0जी0-1584, जी0एन0जी0-1958, आर0एस0जी0-902, शुभ्रा, आर0वी0जी0-202। बड़ा दाना 90 से 100 किग्रा0/है0, मध्यम दाना 75 ये 80 किग्रा0/है0 तथा काबुली चने की प्रजातियों का 75 से 80 किग्रा0 बीज प्रति हैक्टेयर का प्रयोग किया जाय।

चना फसल हेतु प्रभावी बिन्दु :-

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर खाद / उर्वरकों का प्रयोग किया जाय।
- लाइन में उर्वरक का प्रयोग बीज के नीचे किया जाय, यदि मृदा परीक्षण परीक्षण परिणाम उपलब्ध न हो तो 20:60:20 (एन०पी०के०) के अनुसार उर्वरक का प्रयोग किया जाय। 20 किंग्रा० प्रति है० गंधक का भी प्रयोग किया जाय।
- जिप्सम / सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में सल्फर की पूर्ति करें।
- बीज शोधन-2.5 ग्राम थीरम अथवा 04 ग्राम ट्राईकोडर्मा अथवा 2.5 ग्राम थीरम के साथ 2 ग्राम कार्बन्डाजिम प्रति किंग्रा० बीज के लिए प्रयोग करें।
- चने में फूल आते समय सिंचाई न करें, अन्यथा फूल गिर जायेंगे।
- काबुली चने में 02 प्रतिशत बोरेक्स का छिड़काव करें।
- असिंचित दशा में 2 प्रतिशत बोरेक्स का छिड़काव करें।
- गर्मियों में गहरी जुताई करें तथा उसमें हरी खाद उगाए ताकि उकठा के रोगाणु नष्ट हो जायें।

कीट एवं रोग नियंत्रण :-

- (क) उकठा के नियंत्रण हेतु फसल चक प्रयोग करें। बीज शोधन हेतु ट्राईकोडर्मा 4 ग्रा० प्रति किंग्रा० बीज या 2.0 ग्रा० थीरम के साथ 1 ग्रा० कार्बन्डाजिम का प्रयोग करें तथा उसी खेत में तीन-चार वर्ष तक दूसरी फसल लें।
- (ख) फली छेदक के नियंत्रण हेतु एन०पी०वी० 250 एल०इ० प्रति है० 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करें अथवा बीटी 1 किंग्रा० 500-600 लीटर पानी में घोलकर प्रति है० का प्रयोग करें।
4. मटर की प्रजातियाँ - आई०पी०एफ०डी० 10-12, सपना, आई०पी०एफ 4-9, अमन, पी०एम-13, पन्त-14, विकास, एच०यू०डी०पी०-15, के०पी०एम०आर-400, के०पी०एम०आर-522, प्रकाश, एच०एफ०पी०-529, दन्तीवाड़ा मटर-1

मटर फसल हेतु प्रभावी बिन्दु :-

1. उर्वरक प्रयोग-चने के अनुसार करें।
2. फूल आते समय सिंचाई अवश्य करें यदि दो सिंचाई उपलब्ध हो तो दूसरी सिंचाई दाना भरते समय करें।
5. मसूर की प्रजातियाँ - के-75, डी०पी०एल०-62 (बड़ा दाना), एच०यू०एल०-57, पन्त-7, पन्त-8, पन्त-6, आई०पी०एल-316, के०एल०एस०-2018, आई०पी०एल-406, एल-4717 (पूसा अगेती मसूर), के०एल०एस-09-03, के०एल०बी०-2008-4

मसूर फसल हेतु प्रभावी मुख्य बिन्दु :-

- बीज शोधन (2.5 ग्राम थीरम या 04 ग्राम ट्राईकोडर्मा या 2.5 ग्राम थीरम के साथ 2 ग्राम कॉर्बन्डाजिम प्रति किग्रा बीज के साथ) प्रयोग करें।
 - मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करें।
 - मसूर के अंकुरित बीज को धान की कटाई से 15 दिन पूर्व (खेत में नमी होने की स्थिति में) बुवाई करने पर उपज में वृद्धि देखी गयी है इस तकनीकी को उत्तेरा बुवाई कहते हैं इस विधि में 50 किग्रा⁰ हैं⁰ बीज मात्रा का प्रयोग किया जाये।
 - फूल आने के पूर्व एक सिंचाई करनी चाहिए।
- 6. राई/सरसों की प्रजातियां :-** पन्त पीली-01, पी0डी0जेड0एम0-31, हपतपतंर पीताम्बरी (पीला दाना), पी0एम0-26, पी0एम0-27, पी0एम0-28, पी0एम0-30, रोहिणी, वरुणा, वैभव (काला दाना)।

राई/सरसों फसल हेतु प्रभावी बिन्दु :-

- चार पत्ती की अवस्था अर्थात् बुवाई के 15-20 दिन के अन्दर विरलीकरण अवश्य किया जाय, जिसमें पौधों की आपसी दूरी 15 सेमी⁰ कर दी जाय तथा लाइन से लाइन की दूरी 45 सेमी⁰ रखी जाय।
 - फूल निकलने के पूर्व एवं दाना भरने की अवस्था में जल की कमी के प्रति राई/सरसों संवेदनशील होते हैं। अतः अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई करें एवं मिट्टी के अनुसार उर्वरक का प्रयोग करें।
 - फसल सुरक्षा के लिए आई0पी0एम0 का प्रयोग किया जाये, आवश्यक होने पर माहू के नियंत्रण हेतु 2.5 लीटर नीम प्रति हैं⁰ अथवा इससे नियंत्रण होने पर डाई मैथोएट 01 ली⁰ प्रति हैं⁰ प्रयोग किया जाये। अल्टरनेरिया ब्लाईट का प्रकोप होने पर नीचे से प्रभावी पत्तियां तोड़ लें, इससे रोग का प्रसार रुक जाता है।
 - सरसों को माहू के प्रकोप से बचाने हेतु उगेती बुवाई अकटूबर प्रथम पखवाड़ा में करें।
- 7. अलसी-प्रजातियाँ :-** गरिमा, पद्मिनी, उमा, मऊ आजाद अलसी-1, कोटा बारानी अलसी-4, जे0एल0एस0-73

प्रभावी मुख्य बिन्दु :- ?

- लाइन में बुवाई करें तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरक डालें।
- फूल आते समय कम से कम एक सिंचाई अवश्य करें। दो सिंचाई उपलब्ध हो तो दूसरी सिंचाई दाना भरते समय अवश्य करें।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड- खेत की मिट्टी की जाँच कराकर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर उसकी संस्तुतियों के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें।

फसल अवशेष प्रबन्धन इन - सीटू योजना

खरीफ फसलों विशेष कर धान की कटाई के बाद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों द्वारा फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की घटना प्रकाश में आती है, इससे द पर्यावरण प्रदूषण मृदा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, पोषक तत्वों की क्षति, तापमान में वृद्धि, लाभदायक बैकटीरिया एवं कीटों की मृत्यु तथा जैविक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तथा इससे मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इन दुष्प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेइजेशन इन - सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजिड्यू योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कृषि यंत्रों में से 3 या अधिक यंत्र इम्पैनल्ड विक्रेताओं के यहाँ से क्रय करने पर 80 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

यंत्र -

- सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.) ● हैप्पी सीडर,
- पैडी स्ट्रा चापर ● श्रेडर ● मल्चर, ● श्रब मास्टर ● कटर कम स्प्रेडर,
- रोटरी स्लैशर, ● रिवर्सिबुल एम०बी०प्लाऊ, ● रोटावेटर, ● जीरो टिल सीडर कम फर्टिलाइजर ड्रिल।

नोट - (क) दस लाख तक के इन सीटू यंत्रों की परियोजना लागत पर 80 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा। जिसमें कम से कम 3 इन-सीटू कृषि यंत्र सम्मिलित करना अनिवार्य होगा तथा इसके अन्तर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान देय नहीं होगा।

(ख) 11 से 12 लाख तक के परियोजना लागत पर कृषि यंत्रों में कम से कम 35 प्रतिशत इन सीटू क्राप रेजडू मैनेजमेन्ट के यन्त्र सम्मिलित करना अनिवार्य है। अन्य यंत्र लेने पर उनकी लागत का 40 प्रतिशत एस.एम.एम. योजना से देय होगा। जिसमें ट्रैक्टर भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(ख) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि निवेश प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- गर्मियों में जुताई
- हरी खाद
- वर्मी कम्पोस्ट
- फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश
- गोबर की खाद
- अन्तः फसली खेती-मिश्रित / बहुफसली खेती
- फसल अवशेषों एवं अन्य जैविक अवशेषों का प्रबन्धन
- नीम की खली
- खेत की मेडबन्दी
- बरगद के नीचे की मिट्टी
- तालाब की मिट्टी को खेत में डालना
- जलकुम्भी का प्रयोग (कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट बनाने में)
- जैव उर्वरक एवं जैविक कीटनाशी
- मृदा सुधारक-जिप्सम, प्रेसमड (गन्ना मिलों से प्राप्त अवशेष का एक रूप)
- जीरो टिलेज विधि से बुवाई एवं छिड़काव विधि से उर्वरकों का प्रयोग किया जाय।

जल प्रबन्धन- जल प्रबंधन फसलोत्पादन का आधार है। फसलें पोषक तत्वों को घुलित रूप में ही ग्रहण करती हैं। जल की अनुपलब्धता में पौधों की समस्त क्रियाएं प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में पौधों की वृद्धि के कांतिक अवस्थाओं पर जल की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है।

- फसलों की वृद्धि की कांतिक दशाओं पर वर्षा न होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से सिंचाई की जाय।
- सिंचाई हल्की की जानी चाहिए, अधिक पानी देने से पौधों की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है तथा वे पीले पड़ने लगते हैं।
- खेत को समतल करें। लेजर लैण्ड लेबलर के समतल किये खेत में 40 प्रतिशत पानी की बचत होती है।

कृषि निवेश प्रबंधन

कृषि निवेश के तीन महत्वपूर्ण अंग बीज, उर्वरक / खाद एवं कृषि रक्षा रसायन हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था एवं फसली ऋण / बीमा भी उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने

हेतु आवश्यक है।

1. **बीज :-** बीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि निवेश है। उन्नत बीज के प्रयोग मात्र से ही उत्पादकता में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। जितना अच्छा बीज होगा, पौधे उत्तने ही स्वस्थ्य एवं ओजपूर्ण होंगे व अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। उन्नत प्रजातियों का विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा उत्पादन चार चरणों में किया जाता है।

(i) **ब्रीडर बीज**

(ii) **अभिजनक बीज-** पीले रंग का टैग

(iii) **आधारीय बीज-** सफेद रंग का टैग

(iv) **प्रमाणित बीज-** नीले रंग का टैग

2. **उर्वरक / खाद -**

- प्राथमिक पोषक तत्व- कार्बन, हाइड्रोजन व आक्सीजन (वातावरण से)
- मुख्य पोषक तत्व- नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश
- द्वितीय पोषक तत्व-कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर
- सूक्ष्म पोषक तत्व- जिंक, बोरान, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, मालिब्डेनेम, कोबाल्ट।
प्रत्येक फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न होती है। अतः यह आवश्यक है कि फसल की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक (खाद) का संतुलित रूप में प्रयोग किया जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मृदा नमूनों को ग्रहित करते हुए उसके विश्लेषण पश्चात् “मृदा स्वास्थ्य कार्ड” उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में आवश्यक है कि खेत में कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप कम्पोस्ट, प्रेसमड, हरी खाद आदि का प्रयोग किया जाये। इनके प्रयोग से भूमि की जलधारण क्षमता एवं उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि होगी तथा फसल की पैदावार भी अच्छी रहेगी। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एवं पी०एस०बी० प्रमुख जैव उर्वरक हैं। इनका प्रयोग अवश्य करें।

असली / नकली उर्वरक की पहचान को देसी तरीके-

- (i) **यूरिया-** पानी में पूर्णतया घुल जाता है तथा गरम तवे पर पिघल जाता है।
- (ii) **डी०ए०पी-** इसके कुछ दानों में चूना मिलाकर मलने से असहनीय तीक्ष्ण गन्ध निकलती है तथा तवे पर धीमी औच में गरम करने पर दाने फूल जाते हैं।
- (iii) **पोटाश-** इसके कण नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं तथा पानी घोलने पर खाद का लाल भाग पानी में ऊपर तैरता है।

(iv) जिंक सल्फेट- जिंक सल्फेट के घोल को डी०ए०पी० के घोल में मिलाने पर दही जैसा थक्का बन जाता है।

3. पेस्टीसाइड्स- यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।

(i) रासायनिक पेस्टीसाइड्स- यह पेस्टीसाइड्स रसायनों से निर्मित किये जाते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार की मारक क्षमता होती है। इनका सावधानीपूर्वक एवं विशेषज्ञों की सलाह पर देख-रेख में प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत से रसायनों के अवशेष फसलों, फलों एवं बीजों में बचे रह जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं।

(ii) बायो पेस्टीसाइड्स - ट्राइकोडर्मा, व्यूवेरिया बैसिआना, नीम औयल, एन०पी०वी० आदि।

(iii) बायो-एजेन्ट- पेस्टीसाइड्स जैसे ट्राइकोग्रामा, क्राइसोपर्ल आदि।

भारत सरकार द्वारा रासायनिक पेस्टीसाइड्स की मारक क्षमता के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें विभिन्न वर्गों के पेस्टीसाइड्स पर अंकित किया जाना अनिवार्य है।

- हरा रंग- यह मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः सुरक्षित है।
- पीला रंग- अपेक्षाकृत सुरक्षित है।
- नीला रंग- सावधानीपूर्वक प्रयोग अपेक्षित है।
- लाल रंग- गंभीर विषयुक्त अत्यंत सावधानी अपेक्षित।

पर्यावरण संरक्षण व विष रहित खाद्यान्व उत्पादन के लिए - रासायनिक पेस्टीसाइड्स के स्थान पर बायो-पेस्टीसाइड्स / बायो-एजेन्ट के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए।



कृषि विभाग की योजनाएं, (क) कृषि विभाग की योजनाएं, देय सुविधाएं, बीजों पर अनुदान एवं रबी फसलों के समर्थन मूल्य

कृषि अभियंत्रण - कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना :-

कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी/लाभार्थी समूह को परियोजना लागत (अधिकतम 10 लाख) का 40 प्रतिशत अधिकतम रु0 4,00,000 तक अनुदान देय है।

फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना :-

विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए स्वयं सहायता समूह/उपभोक्ता समूह/सहकारी समितियों/कृषक उत्पादक संघ तथा कम से कम 8 कृषकों वाले समूह को परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रु0 का 80 प्रतिशत रु0 8 लाख तक का अनुदान देय है।

फसल अवशेष प्रबन्धन-

इनस्ट्यू मैनेजमेन्ट ऑफ काप रेजिड्यू योजनार्त्तगत हैप्पीसीडर, पैडीस्ट्रा चापर, मल्वर, सब मल्वर, कटर कम स्प्रेडर, रिवर्सिवल एम0बी0 प्लाऊ, रोटरी स्लैशर, जीरो सीड ड्रिल कम फर्टी ड्रिल, रोटावेटर पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध है।

4. सोलर फोटो वोल्टैइक इरीगेशन पम्प की योजना :- यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संचालित है। योजना लाभ- इसे 2 एवं 3 एच0पी0 पर 70 प्रतिशत अनुदान तथा 5 एच0पी0 पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
6. ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति -

खेतों का धरातल असमतल होने के कारण सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि सिंचाई के ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाय जिसमें पानी की बचत हो, पानी की कम मात्रा से ही अधिकाधिक क्षेत्रफल तथा असमतल भूमि में भी जल का सदुपयोग कर फसलें ली जा सकें। ड्रिप पद्धति औद्यानिक फसलों जैसे बागों, फूलों, सब्जियों तथा गन्ना आदि की फसलों के लिए उपयुक्त है, वहीं स्प्रिंकलर या बौछारी सिंचाई पद्धति खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए उपयुक्त है। इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला कृषकों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। इसका अधिकाधिक लाभ उठाया जाय।

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाने / असफल बुवाई की स्थिति, फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से फसल नष्ट होने की स्थिति तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि में अतिवृष्टि, चक्रवात, ओलावृष्टि, खेत में कटी हई फसल की क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति दी जायेगी। रबी फसलों हेतु कृषकों के लिए प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत एवं नकदी फसलों की प्रीमियम दर 5 प्रतिशत है तथा रबी मौसम में फसल बीमा हेतु प्रीमियम जमा करने हेतु अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित है। फसलों की क्षति होने की स्थिति में किसानों द्वारा बीमा कम्पनियों को सूचित करने की अवधि अब 48 घण्टे से बढ़ाकर 72 घण्टे कर दी गई है।

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना - प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों- कम व अधिक तापमान, कम व अधिक वर्षा, तेज हवा, आद्रता से फसल नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा करव के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यक्षेत्र - वर्ष 2018-19 में जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बहराइच, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी में फसल - केला

जनपद फतेहपुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी, बरेली, लखीमपुर-खीरी, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर में फसल - मिर्च

क्षति का आंकलन एवं भुगतान : इस योजना में संभावित क्षति का आंकलन विकास खण्ड में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर फसल की बुआई से कटाई के समयावधि के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में फसलवार क्षति को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्षति पूर्ति प्राप्त करने के लिए कृषकों को अपनी ओर से व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। योजना के प्राविधानों के अनुसार कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होने पर बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे जमा करा दी जाती है।

मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना - राजस्व विभाग के खतौनी में खातेदार / सहखातेदार के साथ ही साथ उन कृषकों को भी पात्र बनाया गया है जो भूमिहीन हैं और जिनकी वार्षिक आय 75000 रु0 से कम है। बीमा आवरण मूत्यु एवं पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रु0 दुर्घटना के बाद चिकित्सा की स्थिति में 2.5 लाख रु0 एवं आवश्यकतानुसार 1 लाख रु0 तक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

किसान क्रेडिट कार्ड - किसानों के निवेशों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 4 प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋणों को सुगमता के साथ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गयी है।

रुपे कार्ड - रुपे कार्ड से अपने निर्धारित बैंक के एटीएम से स्वीकृत फसली ऋण की निर्धारित लिमिट तक पैसे का आहरण कर सकते हैं।

कृषि के आनुषंगिक विभागों की योजनाएं (क) उद्यान एवं पथु पालन :

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी कृषि क्षेत्र में अर्थिक एवं पोषणीयता के साथ किसानों की आय दो गुनी करने हेतु एक सक्षम विकल्प है।

उद्यान विभाग की योजनाएं :

एकीकृत बागवानी विकास मिशन -

1. क्षेत्र विकास : फल, फूल एवं मसालों की खेती के लिए अधिकतम 40-50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

स आलू सब्जियों एवं मसालों के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना-इसके लिये विभिन्न मदों में रूपया 1200.00 का अनुदान उपलब्ध है।

● मधुमक्खी उत्पादन -

5. बक्सों की एक इकाई के लिए कृषकों को 40 प्रतिशत, रूपया 88 हजार तक अनुदान देय।

2. कृषि यन्त्रीकरण - इसके अन्तर्गत कृषकों को अलग-अलग यंत्रों पर 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान देय है-

● गार्डन ट्रैक्टर (20 बी.एच.पी.) पर 75 हजार से 01 लाख रूपये

● पावर टिलर (8 बी.एच.पी.) पर 40 से 50 हजार रूपये

● पावर टिलर (8 बी.एच.पी.) पर 60 से 75 हजार रूपये की छूट है।

3. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट -

● नये शीतग्रह का निर्माण व पुराने शीतग्रह की क्षमता बढ़ाना एवं उनके शुद्धीकरण हेतु लागत का 35 प्रतिशत व 1.40 करोड़ का अनुदान देय

● राइपनिंग चैम्बर- कीमत 35 प्रतिशत अनुदान देय।

4. पैक हाउस / आनफार्म कलेक्शन यूनिट -

● 9X6 मीटर साइज पर कैपिटल कॉस्ट का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 0.2 लाख देय है।

● लो कॉस्ट ब्याज भण्डार गृह (20 मी. टन)- रु. 87500 प्रति लाभार्थी अनुदान देय।

5. संरक्षित खेती - 500 वर्ग मीटर के पॉली हाउस पर प्रतिवर्ग मीटर रु. 1060 तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक 100 वर्ग मीटर पर 1465 रु. लागत का 50 प्रतिशत अनुदान

देय। कारनेशन जलखेरा फूल उगाने पर रु. 610 तथा गुलाब का फूल उगाने पर 426 रु. प्रति मीटर का 50 प्रतिशत अनुदान देय। आम / अमरुद के पुराने बागों का जीर्णोद्धार-पुराने एवं अनुत्पादक बागों की कटाई एवं छंटाई हेतु रु. 20,000 प्रति हें। तक अनुदान देय।

उच्च मूल्य का शाकभौजी उत्पादन- शिमला मिर्च, टमाटर के प्रदर्शन हेतु 40 प्रतिशत तक अनुदान देय है।

पर ड्रिप मोर क्राप : इसके अन्तर्गत माइक्रो इरिगेशन हेतु अधिक दूरी वाली आम, औंवला, लीची, अमरुद, नीबू, शरीफा आदि हेतु स्प्रिंकलर स्टिम तथा कम दूरी वाले केला, पपीता, आलू आदि फसलों के लिए ड्रिप सिस्टम की स्थापना के लिए सीमान्त कृषकों को इकाई लागल का 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों के लिए 80 प्रतिशत अनुदान सुविधा देय है।

- **अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक प्रक्षेत्रों पर औद्योगिक विकास हेतु -** सब्जी उत्पादन की लागत पर प्रति हे. 75 प्रतिशत अनुदान, मसाला उत्पादन पर 90 प्रतिशत, गुलाब उत्पादन पर 90 प्रतिशत तथा गेंदा पर 90 प्रतिशत प्रति हे. अनुदान देय है।

● बुन्देलखण्ड में औद्योगिक विकास की योजना -

इसके अन्तर्गत 0.2 हे. से 1.0 हे. तक बाग लगाने तथा 75 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर प्रति माह 03 हजार रु. प्रोत्साहन राशि 03 साल तक देय है।

● प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना -

1500 वर्ग मी. बरेजा निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अर्थात् 75680 रु. विभिन्न निवेशों में देय है।

● मधुमक्खी पालन -

मौन पालन से शहद के साथ ही उनके द्वारा परागण करने से लाही, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, चना, अरहर, मसूर, सोयाबीन तथा मूँगफली जैसी तिलहनी एवं दलहनी फसलों एवं फल व सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि होती है।

पशु पालन

पशुपालन, कृषि का अभिन्न अंग है। पशुओं से न केवल दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त होते हैं बल्कि उनके गोबर मूत्र एवं अन्य अवशेषों का कृषि में भी उपयोग कर कृषि को लाभप्रद एवं गुणवत्तापरक बनाया जा सकता है।

पशुपालन विभाग की योजनाएं -

- गाय / भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार करने की योजना।
- गाय / भैंसों एवं अन्य पशुओं में बांझपन निवारण की योजना (राज्य योजना)
- अतिहीमकत वीर्य उत्पादन केन्द्र स्थानीय प्रजातियों यथा शाहीवाल, गंगातीरी,

हरियाणा व गिरि प्रजाति के गायों एवं मुर्ग व भदावरी प्रजाति के भैंसों की उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम।

- खुरपका, मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (यह 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित है) निःशुल्क टीकाकरण सुविधा।
- कुटकुटपालन की 10 हजार लेयर पंक्षियों की योजना-योजना की कुल लागत 70 लाख लाभार्थी अंश ₹0 20 लाख तथा लोन ₹0 50 लाख 12 प्रतिशत की दर पर (विभाग द्वारा 10 प्रतिशत)
- कुटकुट पालन 30 हजार लेयर्स की योजना-योजना लागत ₹0 180 लाख, लाभार्थी अंश ₹0 54 लाख, बैंक लोन ₹0 126 लाख बैंक ब्याज दर 12 प्रतिशत (विभाग द्वारा 10 प्रतिशत)
- बैकयार्ड कुटकुट पालन योजन (ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति / अनु० जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थीयों को 50 चूजे तथा 50 किग्रा० कुक्कुट दानादेय)
- सूकर प्रक्षेत्रों के स्थापना, विकास सुदृढीकरण एवं प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना।
- चारा उत्पादन-विभाग द्वारा बीज विक्रय रबी में बरसीम एवं जई तथा खरीफ में लोबिया।

मत्स्य पालन

पोषक सुरक्षा तथा आय बढ़ाने की दृष्टि से मत्स्य पालन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में मत्स्य पालन 5.34 लाख हेक्टेटर में किया जाता है जिससे 6.18 लाख मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता है। महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, बुलन्दशहर, बागतप, विजनौर, बदायूँ, सम्बल, चन्दौली, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि प्रमुख मत्स्य उत्पादक जिले हैं। प्रदेश में मत्स्य पालन की अपार सम्भावनाएं हैं जिसे बढ़ावा देकर पोषण सुरक्षा एवं आय बढ़ाने तथा मत्स्य पालकों का जीवन स्तर में सुधार तथा आय वृद्धि हो सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मत्स्य पालन विभाग द्वारा नीली क्रान्ति पर सेन्ट्रल सेक्टर की स्कीम “एकीकृत मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन” कार्यक्रम अन्तर्गत “डेवलपमेन्ट ऑफ इन लैंड फिशरीज एण्ड एक्वाकल्चर योजना” में तालाब/पोखरों में मत्स्य पालन, पुराने तालाबों का जीणाधार, मत्स्य हैचरी की स्थापना, मत्स्य अंगुलिका पालन एवं मत्स्य फीड उत्पादन मिल/संयंत्र की स्थापना पर 40 प्रतिशत तक अनुदान तथा “नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन योजना” अंतर्गत मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा व मछुआ आवास हेतु 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है।

प्रदेश में प्रमुख मत्स्य प्रजातियाँ -

कतला, रोहू, नैन, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प तथा कामन कार्प आदि।

मत्स्य पालन हेतु प्रमुख कार्य एवं समय :

प्रथम त्रैमास - अप्रैल, मई, जून -

उपयुक्त तालाब हेतु स्थल चयन, मिट्टी, पानी की जाँच, अवांछनीय जलीस वनस्पतियों

तथा मछलियों की सफाई एवं निकासी एक मीटर गहराई वाले 1 हे. तालाब में 25 कुन्तर महुआ की खली का प्रयोग करना। उवरा शक्ति वृद्धि हेतु 250 किग्रा. प्रति.हे. चूना, तथा 10-12 कुन्टल/ हे./ माह गोबर की खाद का प्रयोग करना।

द्वितीय त्रैमास - जुलाई, अगस्त, सितम्बर -

मत्स्य बीज संचय के पूर्व पानी की जाँच करना। (पी.एच. 7.5-8.0) तथा आक्सीजन 5मिली. /लीटर होनी चाहिए। तालाब में 25-50 मिली आकार के 10 हजार मत्स्य बीज का संचय। गोबर की खाद के प्रयोग के 15 दिन बाद 49 किग्रा./हेक्टेयर प्रति माह की दर से (यूरिया 20 किग्रा., सिंगल सुपर फास्फेट 25 किग्रा. तथा एम.ओ.पी. 4 किग्रा.) प्रयोग करना चाहिए।

तृतीय त्रैमास - अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर -

मछलियों की वृद्धि दर की जाँच करना, मत्स्य रोगों की रोकथाम हेतु सीफेक्स का प्रयोग तथा रोगप्रस्त मछलियों को पोटैशियम परमैग्नेट या नमक के घोल में डालकर पुनः तालाब में छोड़ना। पूरक आहार दिया जाना तथा उर्वरकों का प्रयोग करना।

चतुर्थ त्रैमास - जनवरी, फरवरी, मार्च -

बड़ी मछलियों की निकासी एवं विक्रय, पूरक आहार दिया जाना तथा उर्वरकों का प्रयोग।

मछलियों में होने वानी प्रमुख बीमारियाँ :

1. वाइरल हैमेरेजिक सेप्टीसीनियां
2. सौकीज़ सालमन वाइरल बीमारी,
3. फुरुन कुलोसिस (बैकटीरियल) - मछलियों में अल्सर की बीमारी।
4. पेडन्कल रोग
5. बैकटीरियल गिल रोग

दवा -

सल्फामेराजीन, सल्फाग्वानिडीन, सल्फाइजीन, सल्फामेथाजीन, सल्फासुफ्साजोल की 20 ग्राम मात्रा प्रति 100 किग्रा. मछली के भार के हिसाब से भोजन के साथ दिया जाय। एन्टीबायोटिक जैसे क्लोरेम फैनीकोल और ऑसीटेट्रासाइक्लीन 2.5 - 3 ग्राम. प्रति 100 किग्रा।।

फंफूंदी रोग -

इविथ्योफोनस तथा सेपरो लेगनियेसिस

उपचार -

संक्रमित मछलियों का जला दें या चूने के साथ जमीन में दबा दें। टैंक को सुखाकर चूने का प्रयोग करें।

रोग -

प्रोटोजोआ रोग, कोस्टिएसिस रोग, आटोमाइसिएसिस रोग इसके अतिरिक्त जोंकों के काटने से भी मछलियों पर कई रोगजनक प्रभावी होकर मछलियों में रोग फैलाते हैं। इसलिए तालाब में पर्याप्त सफाई, आक्सीजन की उपलब्धता बनाये रखनी चाहिए।

बीजों पर अनुदान

फसल का नाम	अनुदान (रु.प्रति कु0)		अभियुक्ति
	राज्यांश	केन्द्रांश	
गेहूं- 10 वर्ष तक की प्रजातियाँ	eW dk 10% vf/dre #-600/-	2000	मूल्य का 60 प्रतिशत तक
गेहूं- 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियाँ	eW dk 10% vf/dre #-300/-	1000	— —
जौ 10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियाँ 10 वर्ष से अधिक की प्रजातियाँ	eW dk 10% vf/dre #-400/- eW dk 10% vf/dre #-200/-	3000 1500	मूल्य का 60 प्रतिशत तक — —
रबी दलहन 10 वर्ष से कम अवधि की समस्त प्रजातियाँ	eW dk 10% vf/dre #-2000/-	5000	मूल्य का 60 प्रतिशत तक
रबी दलहन 10 वर्ष से अधिक अवधि की समस्त प्रजातियाँ	eW dk 10% vf/dre #-1000/-	2500	— —
रबी तिलहन (पंद्रह वर्ष की अवधि तक)	eW dk 10% vf/dre #-1500/-	4000	मूल्य का 60 प्रतिशत तक
ct xe ; k uk	xgweaeW dk 25% rRk ny gu vks fr y gud scit ksj j eW 15% vuqku ns	मूल्य का 50 प्रतिशत	मूल्य का 75 प्रतिशत तक

uks% , d N"ld dksvf/dre 200 gVsj {ks gsgj zkf.k@l dj ct i j vuqku ns gksA rRk mDr
I fp/k dk ykk N"ldksdksj Ee vlod & Ee i lod dsvkMj i j ns gksA ft I sN"ldksdksmudscs [kks
eaMk j Dv csgfQV VNU Oj 1ahchMh/2sek/ e I smi yOk dj k t k sA

वर्ष 2018-19 में विभिन्न रबी फसलों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्टल निम्नवत् है।

गेहूं रु. 1840/-, जौ रु. 1440/-, चना रु. 4620/-, मसूर रु. 4475/-,
सरसों रु. 4200/-, कुसुम रु. 4945/-

(ख) गन्ना, रेशम एवं मत्स्य :

गन्ना

प्रदेश की प्रमुख कैश क्रॉप मे से एक है। उत्तर प्रदेश में 22.99 लाख हे. क्षेत्रफल में गन्ना के खेती होती है। प्रदेश में गन्ना वर्ष में दो बार बोया जाता है। प्रथम - शरदकालीन, (सितम्बर-अक्टूबर), द्वितीय - बसंतकालीन (फरवरी-मार्च)।

उन्नतिशील गन्ने कर किस्में -

अगेती किस्में : को.शा.08272, को. 0118, को. 0238, यू.पी.05125, को.से.03234, को. 98014, को.शा.13231 आदि।

मध्य देर से पकने वाली किस्में : को.शा. 08279, को.शा.08276, को.शा.12232, को.शा. 09232, को.से.01434, को.से.08452, को.से. 11453 आदि।

जलप्लावित क्षेत्र हेतु किस्में : यू.पी. 9530 एवं को.से. 96436।

बीज गन्ने का चुनाव, बीज दर एवं उपचार : स्वीकृत किस्मों का 08-10 माह की स्वरूप, रोग एवं कीटमुक्त गन्ने की फसल से चयनित बीज गन्ने के दो आँख के टुकड़े काटकर कार्बैन्डाजिम के 0.1 प्रतिशत घोल (112 ग्राम दवा में 112 लीटर पानी) में 0.5 मिनट तक पौँड़ों को उपचारित करके बुआई करना चाहिए। ट्रेन्च विधि में दो आँख के 10 पैड़े प्रतिमीटर की दूरी पर दोहरी पंक्ति में बुआई करने पर लगभग 75-80 कुन्तल बीज गन्ने की प्रति हैक्टेयर आवश्यकता होती है।

खाद एवं उर्वरक : मृदा परीक्षण के आधार पर या संतुलित रूप से 50 कुं. प्रेसमड या 100 कुं. गोबर की कम्पोस्ट की सड़ी खाद तथा रासायनिक उर्वरकों द्वारा 200 किग्रा नत्रजन, 80 किग्रा. फॉस्फोरस, 6 किग्रा. पोटाश एवं 25 किग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हैक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बुआई के समय कार्बनिक खाद एवं नत्रजन की 1/3 मात्रा फास्फोरस, पोटाश एवं जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा नालियों में डालकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाकर तत्पश्चात् पौँड़ों की बुआई करनी चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को तीन बार में पर्याप्त नमी की दशा में गन्ने के पौधों के पास नालियों में बुरकाव करना चाहिए।

कटाई : गन्ने की कटाई 10-12 माह बाद तेज धारदार आधुनिक औजार से जमीन की सतह से नीचे करनी चाहिए जिससे बावग गन्ने की उपज में वृद्धि के साथ ही पेड़ी गन्ने का फुटाव एवं उत्पादन अधिक मिल सके।

गन्ना उपज : सामान्य विधि से बुआई करने पर 800 से 1000 कुन्तल प्रति हैक्टेयर तथा ट्रेन्च विधि से बुआई करने पर 1000-1200 कुं. प्रति हैक्टेयर गन्ने की उपज आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

रेशम

रेशम एक जैविक प्राकृतिक उत्पाद है। जो रेशम कीट द्वारा शतूतत, आसन, अरण्डी एवं साल की पत्ती खाकर रेशम का उत्पादन किया जाता है। वस्तुतः रेशम एक तरह का प्रोटीन है जो दो प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर बनता है - प्रथम फाइब्राइन, दूसरा रेरिसिन इसी लिए रेशम के धागों को जलाने पर बाल जलने जैसी महक आती है।

उत्तर प्रदेश में कुल तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है।

- शहतूती रेशम** - कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, औरैया, इटावा, वाराणसी, कानपुर नगर।
- टसर रेशम** - सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, झाँसी, लिलितपुर।
- ऐरी** - कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बाँदा, जालौन, चित्रकूट, फतेहपुर, उन्नाव।

रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सहाय्यित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (सिल्क समव्य) के अन्तर्गत देय सहायता

- प्रथम 10 दिनों तक चाकी कीटों को न्यूनतम रु.50/- प्रति 100 डी.एफ.एल्स पर आपूर्ति।
- कीटपालकों को कीटपालन हेतु उपकरण पर 90 प्रतिशत छूट के साथ रु. 40,000/- तक का अनुदान।
- धागाकरण ईकाई रुथापना हेतु 75 प्रतिशत छूट के साथ अधिकतम रु. 12.82 लाख तक का अनुदान।
- कीटपालन गृह पर 90 प्रतिशत छूट के साथ अधिकतम रु.1.0 लाख तक अनुदान।
- सोलर लालटेन 90 प्रतिशत छूट के साथ अधिकतम रु.5000/- अनुदान।
- द्यूस्टिंग इकाई लगाने पर 75 प्रतिशत छूट के साथ अधिकतम रु. 7.53 लाख अनुदान।
- न्यूनतम मूल्य रु. 0.50 प्रति 100 डी.एफ.एल्स. पर कीटाण्डों की आपूर्ति।
- कीटाण्ड मूल्य रु. 50 प्रति 100 डी.एफ.एल्स. की दर पर अनुदान।

9. धागाकरण इकाई स्थापना पर 75 प्रतिशत (रु. 17.09 लाख) अनुदान।
10. ट्यूनिंग इकाई स्थापना पर 75 प्रतिशत (रु. 7.53 लाख) अनुदान।
11. चाकी रियरिंग सेन्टर की स्थापना पर 75 प्रतिशत (रु. 12.00 लाख) अनुदान।
12. वृक्षारोपण पर 75 प्रतिशत (रु. 50,000) अनुदान।
13. कीटपालन उपकरण पर 90 प्रतिशत (रु. 50,000) अनुदान।
14. सिंचाई सुविधा विकास पर 75 प्रतिशत (रु. 50,000) अनुदान।
15. कीटपालन गृह (लागत — 3 से 4 लाख) पर 90 प्रतिशत अनुदान।
16. रु. 50 प्रति 100 डी.एफ.एल्स. की कीटाण्ड आपूर्ति।

केन्द्र द्वारा पोषित योजनायें -

1. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** - इस योजना के अन्तर्गत क्लस्टर प्रदर्शन हेतु रु0 7500 प्रति हैक्टेयर, फसल पद्धति प्रदर्शन में रु0 12500 प्रति है0 का अनुदान तथा विभिन्न कृषि यंत्रों पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रु0 600 से अधिकतम रु0 150,000 तक का अनुदान अनुमन्य है।
2. **नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजना (NMAET)** -
 अ- सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना - कृषक प्रशिक्षण हेतु रु0 250 से रु0 1250 प्रति कृषक प्रति दिवस फसल प्रदर्शन हेतु रु0 3000 प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़ तथा प्रत्येक विकास खण्ड में फार्म स्कूल हेतु रु0 29414 की सुविधा उपलब्ध है।
 ब- सब मिशन आन सीड एण्ड प्लाटिंग मैटेरियल (बीज ग्राम योजना) - कृषकों के द्वारा गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन हेतु एक एकड़ की सीमा तक बीज के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान देय है एवं बीज उत्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
 स- सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) - मानव चलित एवं शक्ति चालित यंत्रों पर लघु/सीमान्त, महिला कृषक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है। योजना में कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक की योजना भी शामिल है।
3. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (नूप)** - राई एवं सरसों के फसल प्रदर्शन हेतु मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 3000 प्रति हैक्टेयर का अनुदान, एचडीपीई सिंचाई पाइप पर रु0 50 प्रति मीटर पीवीसी पाइप पर रु0 35 प्रति मीटर एवं फ्लैट ट्यूब पाइप पर रु0 20 प्रति मीटर की दर से अधिकतम रु0 15000 की सीमा तक अनुदान अनुमन्य है तथा डीजल पम्प सेट पर अधिकतम रु0 10000 तक का अनुदान अनुमन्य है।

4. नेशनल मिशन फार सस्टनेबल एग्रीकल्वर -

- अ-** **रेन फेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम-** एक कृषक परिवार को 2 हे. जोत की सीमा तक योजना काल में एक लाख तक का अनुदान देय है। योजना के बागवानी, पशुधन, दुधारू पशु, एग्रो फारेस्ट्री एवं मत्स्य आधारित फसल प्रणाली एवं वैल्यू एडीशन कार्यक्रमों पर सुविधा देय है।
- ब-** **परम्परागत कृषि विकास योजना -** योजना के अन्तर्गत जैविक खेती हेतु 50 एकड़ के क्लस्टर पर 3 वर्षों हेतु ₹0 14.95 लाख की सुविधा देय है।
- स-** **मृदा स्वास्थ्य कार्ड -** प्रत्येक किसान को मिट्टी की जाँच कराकर निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
- 5.** **पूर्वी उठप्र० में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना -** क्लस्टर प्रदर्शन में ₹0 7500 प्रति हे.0 का अनुदान, फसल पद्धति प्रदर्शन में 12500 प्रति हे.0 का अनुदान, विभिन्न कृषि यंत्रों पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ₹0 600 से अधिकतम 150,000 तक का अनुदान तथा उथली बोरिंग हेतु ₹0 12000 तक अधिकतम अनुदान अनुमन्य है।

राज्य पोषित योजनायें-

- 1.** **विभिन्न परिस्थिति के संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना लघु /सीमान्त, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को बायो पेस्टीसाइड्स एवं बायो एजेन्ट पर अधिकतम 500 प्रति हे.0 का अनुदान बीज शोधन हेतु अधिकतम ₹0 150 प्रति हे.0 का अनुदान तथा लघु /सीमान्त, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर अधिकतम ₹0 500 प्रति हे.0 के अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।**

2. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण-

- अ-** **पण्डित दीन दयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना-** कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु लघु सीमान्त कृषकों की बीहड़, बंजर भूमि को सुधार कर कृषि उत्पादन हेतु बनाने के लिए शत्-प्रतिशत अनुदान पर संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत फसल उत्पादन, बागवानी, कृषि वानिकी हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
- ब-** **खेत-तालाब योजना-** भूमि गत जल स्तर में वृद्धि एवं फसलों की जीवन रक्षा सिंचाई हेतु लघु आकार (22x20x3 मीटर) के तालाबों पर ₹. 52500 एवं मध्यम आकार (35x30x3 मीटर) के तालाबों पर ₹. 1,14,200 की सुविधा उपलब्ध है। बुन्देलखण्ड में इस योजना के अन्तर्गत खेत, तालाब के साथ लघु सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर सेट 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

- स-** **नाबार्ड सहायतित आरोआई०डी०एफ० योजना-** भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यों हेतु अनुसूचित जाति के कृषकों को 95 प्रतिशत एवं सामान्य जातियों के कृषकों के प्रक्षेत्रों

पर 90 प्रतिशत अनुदान पर भूमि संरक्षण के विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है। फसल प्रदर्शन हेतु ₹0 3000 प्रति प्रदर्शन (4 हैं) की दर से अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।

- 3. जिप्सम-** कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने हेतु जिप्सम पर अधिकतम 75 प्रतिशत अनुदान की सुविधा है।
- 4. स्प्रिंकलर सेट वितरण -** योजना के अन्तर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान एवं सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
- 5. वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापना-** प्रत्येक राजस्व ग्राम में वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम ₹0 6000 की सुविधा अनुमन्य है।

bu uEcj kai j, l - e, l - , oao~~W~~, i d} kj k vi uhQl yaea
d h&j ks d h t kudkj hvf/d kj; kard i gokdj funku i k A
bl esfdl ku dksvi uk uke v{k i jk i rk nsik gkKA



❖ अधिक उत्पादन हेतु लाइनों में बुआई करें। ❖

कृपया जानकारी हेतु निःशुल्क दूरभाष 1800-180-1551
किसान काल सेंटर पर सम्पर्क करें।

विशेष जानकारी हेतु अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के स्थानीय कर्मचारी/अधिकारी से सम्पर्क करें
या विभाग की वेबसाइट agriculture.up.nic.in देखें।

प्रकाशक : कृषि विभाग
प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, 9, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ